न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 119/2019

दायर दिनांक–12.07.2019

1. श्रवणी पुत्री चुन्नाराम पत्नी मामराज जाति जाट निवासी ढाका की ढाणी तन टोंकछीलरी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू हाल आबाद रघुनाथपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. कमला पुत्री चुन्नाराम पत्नी महाबीर जाति जाट निवासी ढाका की ढाणी टोंक छिलरी तहसील नवलगढ हाल आबाद रघुनाथपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
3. सुमित्रा पुत्री चुन्नाराम पत्नी हेमाराम जाति जाट निवासी ढाका की ढाणी टोंक ढाका की ढाणी टोंकछीलरी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू हाल आबाद छउ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–वादीगण

बनाम

1. केसरी देवी पत्नी चुन्नाराम
2. राजेश पुत्र चुन्नाराम
3. ईश्वरराम पुत्र भूराराम
4. दयाराम पुत्र सुलतान
5. पालाराम पुत्र सुलतान
6. बाली देवी पत्नी सुलतान
7. महाबीर पुत्र भूराराम
8. रामोतार पुत्र सुलतान
9. कमला पुत्री ईश्वर
10. कालूराम पुत्र ईश्वर
11. चुकी पत्नी ईश्वर
12. श्यामराम पुत्र सुलतान पुष्पा देवी पत्नी शंकरलाल
13. फुलाराम पुत्र लादूराम
14. संतोष पुत्री ईश्वर
    समस्तगण जाति जाट निवासीगण ढाका की ढाणी टोंकछीलरी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
15. काली पुत्री चुन्नाराम पत्नी हेताराम जाति जाट निवासी ढाका की ढाणी टोंकछीलरी हाल आबाद खिरोड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू रास्थान।
16. जरिये शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राजस्थान।
17. जरिये शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
18. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री अमर सिह शेखावत
वकील प्रति. : – श्री दयाराम सैनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:33:25 IST
Reason: SelfAttested

दावा : घोषणार्थ, रिकार्ड दरूस्ती

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 27–09–2022

वाद–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– वादी द्वारा वाद पत्र इस कदर पेश किया कि वाके ग्राम टोंक ढाका की ढाणी पटवार हल्का टोंकछीलरी की सरहद में स्थित खाता संख्या 4 के

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

21

अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 159, 251 रकबा क्रमशः 2.07, 0.06 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 2.13 हैक्टर तथा इसी ग्राम में खाता संख्या 05 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 128, 129, 130, 131, 132, 1327/128, 133, 134, 135 रकबा क्रमशः 1.90, 0.02, 4.50, 0.01, 0.03, 0.10, 0.05, 0.04, 1.45 हैक्टर कुल किता 09 कुल रकबा 8.10 हैक्टर अवस्थित है जिसके खातेदार काश्तकार वादियागण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 15 है। उक्त भूमि वादियागण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 15 की शामलाती भूमि है, जो पीढियो से कब्जा काश्त में चली आ रही है, मोके पर मोखिक विभाजन कर अपने–अपने हिस्से पर काश्त कर जीवन यापन करते चले आ रहे है। उक्त भूमि को वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

वादियागण व प्रतिवादीगण नम्बर 1, 2 व 15 चुन्नाराम के वारीसान है, चुन्नाराम के पिता का नाम भूराराम था, भूराराम की मृत्यु के पश्चात राजस्व रिकार्ड चुन्नाराम के नाम से बना व चुन्नाराम की मृत्यु होने के पश्चात चुन्नाराम के वारीसान वादीयागण नम्बर 1 लगायत 03 व प्रतिवादी नम्बर 15 के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज ने होकर अकेले प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 के नाम से गलत रूप से दर्ज हो गया जबकि वादियागण नम्बर 01 व 02 के नाम से गलत रूप से दर्ज हो गया तथ जबकि वादियागण नम्बर 1 लगायत 3 तथा प्रतिवादी नम्बर 15 के नाम से राजस्व रिकार्ड में भी इन्द्राज होने चाहिए था। वादियागण व प्रतिवादीगण नम्बर 1, 2 व 15 की वंशावली वाद–पत्र की धारा 2 मे दर्ज है।

वाद–पत्र की मद संख्या 02 मे दर्ज वंशावली अनुसार राजस्व रिकार्ड बनना चाहिये था, परन्तु प्रतिवादीगण नम्बर 01 व 02 ने तत्कालीन पटवारी हल्का एवं सरपंच से साजकर अकेले अपने नाम गलत रू॰ से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा लिया। जबकि तत्कालीन पटवारी हल्का एवं सरपंच को वारिसान सभी के नाम से राजस्व रिकार्ड बनाना चाहिये था, मौके पर वादग्रस्त भूमि पर वादियागण व प्रतिवादीगण नम्बर 1, 2 व 15 का कब्जा काश्त चला आ रहा है व समय–समय पर काश्त करवाने हेतु बटाई पर स्वयं काश्त शामलाती रूप से करते चले आ रहे, परन्तु राजस्व रिकार्ड में वादियागण का नाम नही होने के कारण से सख्त हकतलफी पैदा हो रही है। गलत बने राजस्व रिकार्ड के आड़ में वादियागण को उनके वैध अधिकारों से वंचित कर सकते हैं। हालांकि प्रतिवादीगण नम्बर 01 व 02 को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है, परन्तु वादियागण को अपने वैध अधिकारों की रक्षार्थ हेतु वाद घोषणार्थ का प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

वादग्रस्त भूमि का गलत बना राजस्व रिकार्ड वादियागण के अधिकारों के खिलाफ है। वादियागण का राजस्व रिकार्ड में नाम अंकन नही होने के कारण समय–समय पर सरकार द्वारा मिलने वाली कृषक को सुविधाए व लाभ से वंचित होना पड़ रहा है, ना ही अपनी जायज आवश्यकता हेतु व भूमि सुधार हेतु वादियागण को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, राजस्व रिकार्ड की आड़ में प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 वादियागण को उनके वैध अधिकारो से वंचित करने के उदेश्य से भूमि का रहननामा, विक्रयनामा, विक्रय पत्र आदि तस्दीक करवा सकते है। हालांकि ऐसा करने का प्रतिवादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नही है, परन्तु गलत राजस्व रिकार्ड बना रहने से वादियागण को उनके वैध अधिकारो से वंचित कर सकते है, अकेले राजस्व रिकार्ड उनके नाम बने रहने की आड़ मे बाला–बाला बिना वादियागण की सहमति के बैंक से ऋण प्राप्त कर लिया। जबकि ऐसा करने का प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 को कोई अधिकार नही था कि बिना सहमति के ऋण या अन्य सुविधाऐ प्राप्त करते। दिनांक 01.07.2019 को बैंक का मुलाजिम भूमि पर आने पर पता चला कि अकेले अकेले गलत बने राजस्व रिकार्ड की आड़ में ऋण प्राप्त कर लिया है तो प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 02 को इस बाबत उलाहना देने पर उन्होने धमकी दी कि राजस्व रिकार्ड हमारे अकेले के नाम से बना हुआ है, तुम काश्त करती हो तो क्या हुआ अभी तो [illegible] भूमि का बेचान करूंगा खुर्द–बुर्द करूंगा, तुम्हारा नाम राजस्व रिकार्ड में नही [illegible] कुछ नही बिगाड़ सकती। यदि प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 वादियागण [illegible] अधिकारो से वंचित करने से सफल हो गये तो वादियागण को [illegible] रूप से मुकदमें बाजी में फंसना होगा, जिमसें [illegible] इसलिए वादियागण को अपने वैध अधिकारों की घोषणा हेतु वाद घोषणा का प्रस्तुत करना [illegible]यक हुआ ताकि राजस्व रिकार्ड में वादियागण का नाम अंकन हो सके।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:33:25 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड अकेले प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 के नाम से दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण की नियत मे फर्क आ गया और प्रतिवादीगण ने वादियागण को दिनांक 01.07.2019 को वादग्रस्त भूमि का गलत राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण का नाम अंकित होने की आड़ में विक्रय करने खुर्द–बुर्द करने की धमकी दी तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

22

वादियागण को उनके हक हिससे की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। जबकि वर्णित वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है और प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है। वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 05 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 128, 129, 130, 131, 132, 1327/128, 133, 134, 135 रकबा क्रमशः 1.90, 0.02, 4.50, 0.01, 0.03, 0.10, 0.05, 0.04, 1.45 हैक्टर कुल किता 09 कुल रकबा 8.10 हैक्टर वाके ग्राम टोंक ढाका की ढाणी पटवार हल्का टोंकछीलरी मे से 0.55 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी नम्बर 01 ने पहले ही प्रतिवादी नम्बर 13 के नाम से विक्रय कर दिया है जिसका नाम भी राजस्व किराडे मे अंकन है। इस प्रकर उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 4 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 159 रकबा 2.07 हैक्टर व खसरा नम्बर 251 रकबा 0.06 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.13 हैक्टर वाके ग्राम टोंक ढाका की ढाणी पटवार हल्का टोंकछीलरी मे अवस्थित भूमि मे वादिया नम्बर 1 लगायत 3 व प्रतिवादीगण नम्बर 1, 2, 15 को हिस्सा 1/4 मे से 1/6–1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा खाता संख्या 05 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 128, 129, 130, 131, 132, 1327/128, 133, 134, 135 रकबा क्रमशः 1.90, 0.02, 4.50, 0.01, 0.03, 0.10, 0.05, 0.04, 1.45 हैक्टर कुल किता 09 कुल रकबा 8.10 हैक्टर वाके ग्राम टोंक ढाका की ढाणी मे अवस्थित भूमि में वादियागण नम्बर 1 लगायत 3 व प्रतिवादीगण नम्बर 1, 2, 15 को हिस्सा 1.4750 हैक्टर मे से 1/6–1/6 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड गलत रूप से प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 के नाम से दर्ज होने से प्रतिवादीगण की मंशा में फर्क आ गया, प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 वादियागण व प्रतिवादीगण नम्बर 15 को उनके वैध अधिकारों से वंचित करने पर आमादा है, यदि प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 अपनी नाजायज मंशा मे सफल हो गया तो वादियागण को अपने वैध अधिकारों से वंचित होना पडेगा साथ ही व्यर्थ की मुकदमे बाजी में फंसना होगा, जिसकी पूर्ति किसी भी तरह से संभव नही होगी आर्थिक नुकसाना इतना अधिक होगा जो रूप्यों से संभव नही होगा तथा मानसिक पीडा अधिक होगी जो रूप्यों से संभव नही होगा तथा मानसिंक पीडा अलग से भुगतनी पडेगी वादियागण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला है, क्षतिपूर्ति तथा सुविधा का संतुलन पक्ष में होने के कारण से स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की वादियागण अधिकारिणी है। इसलिए प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादग्रस्त भूमि के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में न तो स्वयं बाधा डाले न ही अन्य किसी से बाधा डलवाये न ही वादग्रस्त शामलाती भूमि के किसी भी भू–भाग पर स्वयं कब्जा करे, न ही अन्य किसी से कब्जा करवाये न ही अजनबी क्रेतागण को भूमि का हस्तान्तरण स्वयं करे न ही अन्य से करवाये न ही स्वयं जबरन भूमि में प्रवेश करे, न ही अन्य किसी से ऐसा करवाये, वादियागण को शांति पूर्वक भूमि की लाट–बाट उपयोग उपभोग करने देवे किसी भी प्रकार की मखालत पैदा नही करे तथा प्रतिवादी नम्बर 18 को भी स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र न तो स्वयं तस्दीक करे तथा न ही अपने अधिनस्थ अन्य किसी से करावे। मौका व रिकार्ड मे किसी परिवर्तन करे।

वादियागण द्वारा वाद–पत्र में अनुतोष के संबंध में निवेदन किया कि वाद वादियागया बहक प्रतिवादीगण बहक इस उमर की घोषणा की डिक्री फरमाई जावे कि वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 4 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 159, 251 रकबा क्रमशः 2.07, 0.06 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 2.13 हैक्टर वाके ग्राम टोंक ढाका की ढाणी में वादियागण नम्बर 1 लगायत 3 व प्रतिवादीगण संया 1, 2, 15 को हिस्सा 1/4 में से 1/6–1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी ग्राम में खाता संख्या 5 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 128, 129, 130, 131, 132, 1327/128, 133, 134, 135 कुल रकबा 1.90, 0.02, 4.50, 0.01, 0.03, 0.10, 0.05, 0.04, 1.45 हैक्टर कुल किता 09 कुल रकबा 8.10 हैक्टर वाके ग्राम [illegible] छीलरी अवस्थित भूमि में वादियागण नम्बर 1 लगायत 03 व प्रतिवादीगण न[illegible] को हिस्सा 1.4750 हैकअर में से 1/6–1/6 का खातेदार काश्त[illegible] के हिस्से की भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण [illegible] सिद्धि जो चाही जाने से रह गई हो वादियागण के हक [illegible] वाई जावे।

वादियागण द्वारा वाद–पत्र पेश होने पर बाद अव[illegible] दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगा[illegible] 18 की सम्यक तामिल के बावजूद भी उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादीगणो के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो चुकी हैं तो प्रकरण मे तनकीयात की आवश्यकता नही होने तनकीयात कायम नही की गई। शहादत ली गई। शहादत वादी में वादिया श्रवणी

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:33:25 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रै.)
नवलगढ

देवी पुत्र चुन्नाराम पत्नी मामराज, गवाह कमला देवी पुत्र चुन्नाराम जाति जाट उपस्थित होकर अपने मुख्य परीक्षण के शपथ–पत्र पेश किये तथा वादियागण ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य नक्शा ट्रेश प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–7078 प्रदर्श–3 दस्तावेजात पेश कर प्रदर्शित करवाये। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगणों के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने से शहादत प्रतिवादी नही ली गई।

शहादत प्रस्तुत होने पर बहस वकील वादीगण एकपक्षीय बगौर सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यो को दोहराया। बहस का मनन किया तथा पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाके ग्राम टोंक ढाका की ढाणी पटवार हल्का टोंकछीलरी की सरहद में स्थित खाता संख्या 4 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 159, 251 रकबा क्रमशः 2.07, 0.06 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 2.13 हैक्टर तथा इसी ग्राम में खाता संख्या 05 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 128, 129, 130, 131, 132, 1327/128, 133, 134, 135 रकबा क्रमशः 1.90, 0.02, 4.50, 0.01, 0.03, 0.10, 0.05, 0.04, 1.45 हैक्टर कुल किता 09 कुल रकबा 8.10 हैक्टर अवस्थित है जो वाके ग्राम टोंक ढाका की ढाणी की नकल जमाबंदी खाता संख्या 4 व 5 सम्वत् 2075–2078 जो प्रदर्श– 2 व 3 है, से प्रमाणित है। वाद–पत्र की धारा 2 के अनुसार वादियागण व प्रतिवादीगण नम्बर 1, 2 व 15 चुन्नाराम के वारीसान है, चुन्नाराम के पिता का नाम भूराराम था। वादियागण व प्रतिवादीगण नम्बर 1, 2 व 15 चुन्नाराम के वारीसान है, चुन्नाराम के पिता का नाम भूराराम था, भूराराम की मृत्यु के पश्चात राजस्व रिकार्ड चुन्नाराम के नाम से बना व चुन्नाराम की मृत्यु होने के पश्चात चुन्नाराम के वारीसान वादीयागण नम्बर 1 लगायत 03 व प्रतिवादी नम्बर 15 के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज न होकर अकेले प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 के नाम से गलत रूप से दर्ज हो गया। वादियागण नम्बर 1 लगायत 3 तथा प्रतिवादी नम्बर 15 के नाम से राजस्व रिकार्ड में भी इन्द्राज होने चाहिए था। वाद–पत्र में मद संख्या 02 मे दर्ज वंशावली अनुसार राजस्व रिकार्ड बनना चाहिये था, तत्कालीन पटवारी हल्का एवं सरपंच को वारिसान सभी के नाम से राजस्व रिकार्ड बनाना चाहिये था, परन्तु राजस्व रिकार्ड में वादियागण का नाम नही होने के कारण से सख्त हकतलफी पैदा हो रही है। गलत बने राजस्व रिकार्ड के आड़ में वादियागण को उनके वैध अधिकारों से वंचित हो सकते हैं। वादियागण को अपने वैध अधिकारों की रक्षार्थ घोषणा करवाने का अधिकारी है। गलत राजस्व रिकार्ड होने से वादियागण के हक हकूको पर विपरीत प्रभाव पडेगा तथा उनके अधिकारो पर कुठाराधात है। वादियागण का वाद उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से पूर्णतया साबित पाया जाता है। फलस्वरूप वाद वादियागण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना अनुसार वादियागण का वाद दस्तावेजी साक्ष्य से साबित पाये जाने पर वाद वादियागण स्वीकार किया जाता है। ग्राम टोंक ढाका की ढाणी पटवार हल्का टोंकछीलरी की सरहद में भूमि खाता संख्या 4 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 159, 251 रकबा क्रमशः 2.07, 0.06 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 2.13 हैक्टर वाके ग्राम टोंक ढाका की ढाणी में वादियागण नम्बर 1 लगायत 3 व प्रतिवादीगण संया 1, 2, 15 को हिस्सा 1/4 में से 1/6–1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार तथा इसी ग्राम के खाता संख्या 5 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 128, 129, 130, 131, 132, 1327/128, 133, 134, 135 कुल रकबा 1.90, 0.02, 4.50, 0.01, 0.03, 0.10, 0.05, 0.04, 1.45 हैक्टर कुल किता 09 कुल रकबा 8.10 हैक्टर भूमि में वादि[illegible] लगायत 03 व प्रतिवादीगण नम्बर 1, 2, 15 को हिस्सा 1.4750 हैक्टर में से 1/6–1/6 हिस्से का खाते[illegible]र घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगणों को स्थाई निषेधाज्ञा से [illegible] कि [illegible]गण के हिस्से की भूमि किसी प्रकार की दखन्दाजी एवं उपयोग उप[illegible] तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि मुताबिक घोषित खातेदारी अनुसार [illegible] रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। [illegible]र्णय आज दिनांक 27–09–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ए. सी. ई. एम. (फा. टे.)
(दमयंती कंवर)
सहायक कलेक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:33:25 IST
Reason: SelfAttested

२५

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ
मुकाम बईजलास दमयंती कंवर (आर.ए.एस.) नवलगढ

दावा बाबत घोषणार्थ, स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा सं0:– 119/2019 **(श्रवणी आदि बनाम केसरी देवी आदि)**

पर्चा–डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 27.09.2022 निर्णय अनुसार वाद वादियागण दस्तावेजी साक्ष्य से साबित पाये जाने पर वाद वादियागण स्वीकार किया जाता है। ग्राम टोंक ढाका की ढाणी पटवार हल्का टोंकछीलरी की सरहद में भूमि खाता संख्या 4 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 159, 251 रकबा क्रमशः 2.07, 0.06 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 2.13 हैक्टर वाके ग्राम टोंक ढाका की ढाणी में वादियागण नम्बर 1 लगायत 3 व प्रतिवादीगण संया 1, 2, 15 को हिस्सा 1/4 में से 1/6–1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार तथा इसी ग्राम के खाता संख्या 5 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 128, 129, 130, 131, 132, 1327/128, 133, 134, 135 कुल रकबा 1.90, 0.02, 4.50, 0.01, 0.03, 0.10, 0.05, 0.04, 1.45 हैक्टर कुल किता 09 कुल रकबा 8.10 हैक्टर भूमि में वादियागण नम्बर 1 लगायत 03 व प्रतिवादीगण नम्बर 1, 2, 15 को हिस्सा 1.4750 हैक्टर में से 1/6–1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगणों को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादियागण के हिस्से की भूमि किसी प्रकार की दखन्दाजी एवं उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करेगे। तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि मुताबिक घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना वहन करेंगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 27.09.2022 को जारी की गई।

(दमयंती कवंर)
ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

एसीईएम (फा.ट्रे.)
नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:33:25 IST
Reason: SelfAttested